"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2003—श्रावण 15, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच (73).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पांच (28), दिनांक 13-4-2000 में 1-8-2003 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 49 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाए :—

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है (4)
50.	अधिनियम में संलग्न अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल.	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर.	जब एक पंजीयत व्यापारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संस्थान को अधिकारिक उपयोग हेतु संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध विक्रय किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच (73).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच (73), दिनांक 6-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 6th August 2003

NOTIFICATION

No. F-10/61/2003/CT/V (73).—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-3-28-2000-ST-V (28), dated 13-4-2000 with effect from 1-8-2003 :—

AMENDMENT

In the schedule to the said notification after entry No. 49 the following entry shall be inserted :—

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and Conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Goods specified in Schedule II appended to the Adhiniyam.	Whole of tax under section 9.	When sold by a registered dealer to the United Nation Industrial Development Organization for the purpose of official use. against the declaration in the appended form.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.